कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं.खुशीलाल शर्मा,शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, कोलार–नेहरू नगर रोड, भोपाल 462 003)
ॅमइरू ृणसेहंबपण्मकनण्पद   म्उंपसरू चतपदबपचंस/ेसहंबपण्दपबण्पद   दूरभाष क्रं. –0755–2970310

(दुकान एस–1 ए (प्रोविजन स्टोर हेतु) को किराये पर देने की ई–निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्तें)

1 पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान परिसर में निर्मित **दुकान एस–1 ए (प्रोविजन स्टोर संचालन हेतु) को किराये पर देने हेतु** ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

2 ई–निविदा प्रपत्र आनलाइन प्राप्त एवं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23.06.2021 को सायं 05.00 बजे तक है, ई–तकनीकी निविदा महाविद्यालय में दिनांक 25.06.2021 को दोपहर 02.00 बजे एवं वित्तीय निविदा दिनांक को 26.06.2021 दोपहर 02.00 बजे mptender.gov.in से डाउनलोड की जावेगी।

3. ई–निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है, निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपता है या कार्य कराता पाया जाता है, तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को Black Listed किया जायेगा, जिसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं किया जावेगा तथा एल–02 निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिया जावेगा।

4. इच्छुक ई–निविदाकर्ता ऑनलाइन mptender.gov.in से ई–निविदा राशि रू. 1500/– का भुगतान कर ई–निविदा प्राप्त कर सकते है जिसको mptender.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक आनलाइन सबमिट की जाना है ।

5. ई.एम.डी. राशि रूपये 50000/– (रूपये पचास हजार मात्र) जिसे ई–पेमेन्ट के माध्यम से mptender.gov.in पर tender सबमिट करते समय पेमेन्ट करना होगा। ई.एम.डी. राशि सफल निविदाकार की अनुबध होने पर वापस की जावेगी ,शेष निविदाकारों की ई.एम.डी.राशि mptender.gov.in के माध्यम से वापस लौटा दी जावेगी । सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि (अनुबध राशि के 5 से 10 प्रतिशत तक) बैक ड्राफ्ट के माध्यम से संस्थान में जमा करना होगा निष्पादन प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के अनुबध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी।

6. सफल निविदाकर्ता फर्म को दुकान एस–01 ए **प्रोविजन स्टोर संचालन हेतु किराये पर दी जावेगी** । जिसका (दुकान एस–01ए) वर्तमान किराया 5856.00 प्रतिमाह है । निविदाकारों को वर्तमान किराये से कम किराया राशि निविदा में अंकित करने की अनुमति नहीं होगी । वर्तमान किराये से कम किराया राशि वाले निविदाकार की निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी । अग्रिम किराया प्रतिमाह की 07 तारीख तक महाविद्यालय के लेखा कक्ष मे जमा कराना अनिवार्य होगा। किराया समय–सीमा मे जमा न करने की स्थिति में 15 प्रतिशत अधिभार लिया जावेगा ।

7 निविदाकार फर्म के पास जीवित गुमास्ता संबधित कार्य का होना आवश्यक है, जिसे तकनीकी निविदा से सांथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

8. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2019–20 का टर्न ओवर न्यूनतम 05.00 लाख मात्र (पांच लाख)होना आवश्यक है ।जिसके साक्ष्य के रुप में वित्तीय वर्ष 2019–20 की आयकर विवरणी की प्रति ,बैलेस शीट,लाभ–हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

9. GST पंजीयन पत्र की छायाप्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

11. पैन नंबर की छायाप्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

12. तकनीकी निविदा के परीक्षण मे सफल निविदाकारो की ही वित्तीय निविदाये खोली जावेगी । वित्तीय निविदा अनुसार अधिकतम किराया आफर करने वाले निविदाकार को दुकान का आवंटन निधारिंत शर्तो के अधीन किया जावेगा ।

13. सफल निविदाकर्ता को म0प्र0स्टांप अधिनियम के नियमों के अनुसार निधारिंत राशि के नान ज्युडीशियल स्टांप पर किरायेदारी का अनुबंध एवं 03 माह की किराया राशि अग्रिम मे जमा करना होगा । प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल से आदेश प्राप्त होने में उल्लेखित तिथि से किरायेदारी प्रारंभ करनी होगी।

14. निविदा /अनुबंध कार्य आदेश तिथि से (05)पांच वर्ष के लिए होगा। जो कि प्रतिवर्ष कार्य संजोषजनक होने पर तदसमय प्रचलित किराये में 10 प्रतिशत किराया राशि की बृद्वि से साथ निरंतर की जायेगी । कार्य संतोषजनक न होने व निविदा की शर्तो का पालन न करने की स्थिति में समय से पूर्व भी अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

15. प्रोविजन स्टोर में कार्यरत कर्मचारियों का पूर्ण बायोडाटा संस्था में प्रस्तुत करना होगा । यदि किसी कार्यरत कर्मचारियों का बदलाव निविदाकर्ता द्वारा किया जाता है तो उसकी तत्काल सूचना संस्था प्रमुख को लिखित में पूर्ण दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

16. निविदाकर्ता द्वारा में लगाए गए कर्मचारियों से संबंधित नियमानुसार पुलिस सत्यापन,बीमा दुर्घटना क्षति पूर्ति आदि की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी।

17. निविदाकर्ता को किराये की राशि **केवल ई–वित्तीय निविदा की एक्सल शीट में शब्दों एवं अंको में अंकित करना है** । शब्दों एवं अंको की राशि में अंतर की स्थिति में शब्दों में अंकित राशि को मान्य किया जावेगा ।

18. डिफाल्टर फर्म (ताप्पर्य वह फर्म जिसे अनुबंध शर्तो के उल्लंधन के कारण अनुबंध अवधि के पूर्व समाप्त किया गया हो) आगामी निविदा प्रकिया मे भाग नहीं ले सकेगी।

19. निविदाकार को केवल लाइट कूलर पंखे फ्रिज,चलाने हेतु बिजली प्रदाय की जावेगी जिसका शुल्क सब मीटर की रीडिगं के आधार पर संस्था द्वारा निर्धारित किया जावेगा। उसका भुगतान निविदाकर्ता फर्म द्वारा प्रतिमाह लेखा कक्ष संस्थान में जमा करना होगा ।

20. संस्थान द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

21. दुकान का उपयोग पूर्णतः **प्रोविजन स्टोर** के लिए किया जावेगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय किया जाना पाये जाने पर अनुबध निरस्त कर दिया जावेगा ।

22. प्रधानाचार्य एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल विशेष परिस्थिति में अनुबधित अवधि से पूर्व भी 01 माह पूर्व नोटिस देकर या नोटिस दुकान पर चस्पा कर दुकान खाली कराना चाहे तो बिना विवाद किये दुकान खाली कर आधिपत्य सौपना होगा ।

23. दुकान प्रधानाचार्य एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल की परिसंम्पति होगी ,मात्र अनुबध अनुसार उपयोग करने का अधिकार होगा ।

24. दुकान हेतु किये जाने बाले अनुबध ,पंजीयन ,स्टांप पेपर आदि व्ययो का वहन निविदाकर्ता फर्म द्वारा किया जावेगा ।

25. निविदाकर्ता को प्राप्त होने वाली आय पर टैक्स,सरचार्ज,सेवाकर आदि का भुगतान स्वयं निविदाकर्ता फर्म को करना होगा ।

26. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिये इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

27. किसी भी निविदा की समयावधि /स्थान /समय मे परिवर्तन करना /निविदा को स्वीकृत करने एवं अस्वीकृत करने का अधिकार प्रधानाचार्य एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल को होगा ।

28. प्रपत्र–03 अनुसार शपथ पत्र को तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।

29. अनुबंध अबधि में दुकान मे होने वाली टूट–फूट की मरम्मत रंग रोगन कार्य निविदाकार फर्म को करना होगा लेकिन किसी भी स्थिति में दुकान की मूल अद्योसंरचना मे निविदाकार परिवर्तन नही कर सकेगा ।

30. ई–तकनीकी निविदा में अपलोड समस्त दस्तावेजो की स्व हस्ताक्षरित प्रति तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक को निधार्रित समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

31. संलग्न चेक लिस्ट अनुसार दस्तावेजो को तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक है। चेक लिस्ट के सरल क्र–01 से 06 तक के अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा का परीक्षण किया जावेगा । इन्ही अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य/अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किसी अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा ।

32. भारत सरकार वित मत्रांलय के राजस्व एवं टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा जारी जी.एस.टी.संबधित दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

33. किसी भी प्रकार के विवाद हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल म०प्र० होगा।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

पं.खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी)आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(किराये पर प्रोविजन स्टोर संचालन हेतु दुंकान एस–1ए की तकनीकी ई–निविदा का प्रपत्र –01)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. फर्म के मालिक का नाम–––––––––––––––––––– पिता का नाम––––––––––––

3 वर्तमान निवास का पता–––

4 दूरभाष/मोबाईल नम्बर–––

5 GSTIN NO.––

6 जीवित गुमास्ता नं...दिनांक ....

7. पैन कार्ड न..

8 ई.एम.डी. राशि अंको में.....................................शब्दो में––––––––––––––डी.डी.क ....

दिनांक......................बैक का नाम..

(ई.एम.डी.राशि ई–प्रिटेड प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना होगा)

09 निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2019–20 का टर्न ओवर न्यूनतम 05.00 लाख होना आवश्यक है ।,जिसके साक्ष्य के रुप में वित्तीय वर्ष 2019–20 की आयकर विवरणी की प्रति ,बैलेस शीट,लाभ–हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है । संलग्न हॉ/नहीं

10 जीवित गुमास्ता संबधित कार्य का होना अनिवार्य होगा । जिसे तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है । संलग्न हॉ/नहीं

11. प्रपत्र–03 अनुसार शपथ पत्र **राशि** रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के दस्तावेजो के साथ अपलोड करना आवश्यक है । संलग्न हॉ/नहीं

12. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिऐ इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । संलग्न हॉ/नहीं

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम––––––––––––––––

खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी)आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(आयुर्वेद मेडीकल स्टोर दुकान एस–3 हेतु वित्तीय ई–निविदा का प्रपत्र –02)

प्रोविजन स्टोर दुकान एस–1ए हेतु किराया प्रतिमाह :–

राशि अको में.....................................शब्दों में.................................

नोट :– उक्त प्रपत्र प्रारुप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार किराया राशि को ई–वित्तीय निविदा ऑनलाइन mptender.gov.in की एक्सल शीट BBQ मे ही दर्ज करना है ।

प्रपत्र–03

//शपथ –पत्र //

मै...पिता श्री..

निवासी ....

उम्र........ शपथ पूर्वक कथन कथन करता हू कि उपरोक्त प्रोविजन स्टोर संचालन हेतु दुकान क्र.एस–01ए किराये पर प्राप्त करने हेतु निविदा में दी गई समस्त शर्तो का पूर्ण होश–हवास में अध्ययन कर लिया है जिसकी समस्त शर्ते मुझे मान्य है । एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज वैधानिक है । निविदा की शर्तो का पालन नही करने एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज त्रुटि पूर्ण पाये जाने की स्थिति में यदि मेरी निविदा /अनुबध निरस्त की जाती है , तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम————————————

मोबाइल नं0

नोट :– उक्त शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

/ /चैक–लिस्ट / /

उपरोक्त वर्णित नियम शर्तो अनुसार निम्न दस्तावेजो को तकनीकी निविदा प्रपत्र –01 अनुसार ऑनलाइन mptender.gov.in पर सबमिट करते समय आवश्यक रुप से अपलोड किया जाना है :–

क	दस्तावेज का नाम	संलग्न हॉ/नहीं
01	ई.एम.डी.राशि की ई–प्रिटेड प्रति ✔चिन्हित करें	
02	जीवित गुमास्ता की प्रति ✔चिन्हित करें	
03	वित्तीय वर्ष 2019–20 का टर्न ओवर न्यूनतम 05.00 लाख के साक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2019–20 की आयकर विवरणी की प्रति ,बैलेस शीट,लाभ–हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 की आयकर विवरणी की प्रति।✔चिन्हित करें	
04	जी.एस.टी.पंजीयन पत्र की प्रति✔चिन्हित करें	
05	पैन नम्बर की प्रति✔चिन्हित करें	
06	निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होना चाहिऐ इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा की प्रति ✔चिन्हित करें	
07	प्रपत्र–03 अनुसार शपथ–पत्र✔चिन्हित करें	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम–––––––––––––––––

मोबाइल नं0

नोट :–चैक लिस्ट के सरल क्र–01 से 07 तक के अभिलेखों के आधार पर ही तकनीकी निविदा का विश्लेषण किया जावेगा इन्ही अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य/अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किन्ही अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा ।